रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 804] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 804] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

का.आ. 934(अ).—हिमाचल प्रदेश राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में रीसस मकाक बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती के विनाश होने सहित जीवन और संपत्ति की हानि होने की रिपोर्ट दी है;

और केंद्रीय सरकार वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों की क्षति को कम करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय संख्या को संतुलित करना आवश्यक समझती है;

अत: इसलिए अब केंद्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-I की क्रम संख्या 17-क पर सूचीबद्ध रीसस मकाक *(मकाका मुलाटा)* को पीड़क जंतु के रूप में घोषित करती है और निम्न तालिका में विनिर्दिष्टानुसार हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची-V में सम्मिलित करती है, अर्थात् :-

तालिका

क्रम सं.	जिले का नाम	तहसीलों/उप-तहसील की संख्या	क्षेत्र/तहसील/उप-तहसील का नाम (*)
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	चंबा	06	चुराह, भरमौर, डलहोज़ी, भटियात, सिंहुता और चंबा
(ii)	कांगड़ा	15	कस्बा-कोटला, जसवान, देहरा-गोपीपुर, खुंडियां, जयसिंहपुर, बैजनाथ, धर्मशाला, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, जवाली, कांगड़ा, पालमपुर और बड़ोह
(iii)	बिलासपुर	06	झंडुट्टा, भरारी*, घूमरविन, नैनादेवी, बिलासपुर सदर और नमहोल

176

(iv)	ऊना	05	भरवैन, अम्ब, ऊना, हरौली, बंगाना
(v)	शिमला	15	सुन्नी, ठियोग, कोटखाई, कुमारसेन, चोपाल, रोहडू, जुब्बल, चिरगांव, कुपवी*, नन्खारी*, टिक्कर*, जुंगा*, शिमला ग्रामीण, रामपुर और नेरवा
(vi)	सिरमौर	09	पाउंटा साहिब, ददाहू*, पंझौता*, नौहरा*, पच्छाद, राजगढ़, रेणुका, शिल्लाई और कामरऊ
(vii)	सोलन	08	अर्की, कंडाघाट, रामशहर*, कृष्णगढ़*, नालागढ़, कसौली, सोलन और दर्लाघाट
(viii)	मंडी	10	मंडी, चचियोट, थुनाग, कार्सोग, जोगिंदरनगर, पधार, लदभाडोल, सरकाघाट, धर्मपुर*, और सुंदरनगर
(ix)	कुल्लु	06	निर्मंद, बंजर, अनी, मनाली, कुल्लु और सैंज
(x)	हमीरपुर	06	हमीरपुर, भोरंज, नदांऊ, सुजानपुर, बदसर और बिजहारी
(xi)	किन्नौर	05	निचर, पूह, कल्पा, संगला और मूरंग

2. रीसस मकाक *(मकाका मुलाटा)* का अनुसूची-V में शामिल किया जाना हिमाचल प्रदेश राज्य के वन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।

[फा. सं. 1-26/2015-डब्ल्यूएल-I (भाग-I)]

एम. एस. नेगी, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2019.

S.O. 934(E).—Whereas, the State of Himachal Pradesh has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Rhesus Macaque monkeys in areas outside forests;

And Whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of this species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declares Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*) listed at serial number 17-A of Part I of Schedule II to the said Act, as vermin and included in Schedule V of the said Act, for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in the areas of Himachal Pradesh as specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Name of District	No. of Tehsil/ sub-Tehsil	Name of Area/Tehsil/Sub-Tehsil (*)
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	Chamba	06	Churah, Bharmour, Dalhousie, Bhatiyat, Sihunta and Chamba
(ii)	Kangra	15	Kasba-Kotla, Jaswan, Dehra-Gopipur, Khundiyan, Jaisinghpur, Baijnath, Dharamshala, Shahpur, Nurpur, Indora, Fatehpur, Jawali, Kangra, Palampur and Baroh

(iii)	Bilaspur	06	Jhandutta, Bharari*, Ghumarwin, Nainadevi, Bilaspur Sadar and Namhol
(iv)	Una	05	Bharwain, Amb, Una, Haroli and Bangana
(v)	Shimla	15	Sunni, Theog, Kotkhai, Kumarsain, Chopal, Rohroo, Jubbal, Chirgaon, Kupvi*, Nankhari*, Tikkar* Junga*, Shimla Rural, Rampur and Nerwa
(vi)	Sirmour	09	Paonta Sahib, Dadahu*, Panjhota*, Nohra*, Pachhad, Rajgarh, Renuka, Shillai and Kamrau
(vii)	Solan	08	Arki, Kandaghat, Ramshahar*, Krishangarh*, Nalagarh, Kasauli, Solan and Darlaghat
(viii)	Mandi	10	Mandi, Chachiot, Thunag, Karsog, Jogindernagar, Padhar, Ladbhadol, Sarkaghat, Dharampur* and Sundarnagar
(ix)	Kullu	06	Nirmand, Banjar, Ani, Manali, Kullu and Sainj
(x)	Hamirpur	06	Hamirpur, Bhoranj, Nadaun, Sujanpur, Badsar and Bijhari
(xii)	Kinnaur	05	Nichar, Pooh, Kalpa, Sangla and Moorang

2. The inclusion of Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*) in Schedule V shall not be applicable in the forest areas of the State of Himachal Pradesh.

[F. No. 1-26/2015-WL-I (pt-I)]

M. S. NEGI, Addl. Director General of Forests (WL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.02.22 19:54:00 +05'30'